



Head Office
Uttarakhand Pollution Control Board
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun (Uttarakhand)

UKPCB/HO/NOC-7228/2021/ 1564

Date : 20.02.2021

Speed Post

To,

The Chairman,
State Environment Impact Assessment Authority,
653, Indira Nagar Colony,
Seemadwar Road, Dehradun.

Subject :- Minutes of Public Hearing of M/s Jai Mata Di Mines for Soap stone mining project at Vill-Dayali, Kuroli, Tehsil-Dugnakuri, Distt- Bageshwar – reg.

Sir,

This is to inform that Uttarakhand Pollution Control Board has conducted the Public Hearing of M/s Jai Mata Di Mines for Soap stone mining project (4.195 Hect. Area) at Vill-Dayali, Kuroli, Tehsil-Dugnakuri, Distt- Bageshwar on dated 28.12.2020 at project premises. The copy of the minutes of Public Hearing along with video recording, photography of entire Public Hearing and copy of attendance sheets are enclosed herewith for your kind persual please.

Enclosed :- as above.

Yours Faithfully

(S.P. Subudhi)
Member Secretary

Copy to :-

1. District Magistrate, Bageshwar for kind information and with request to display the minutes of respective public hearing at your office for general information please.
2. Regional Officer (I/c), UKPCB, Haldwani with the direction to display the minutes of respective public hearing at your office for general information please.
3. M/s Jai Mata Di Mines, Vill-Dayali, Kuroli, Tehsil-Dugnakuri, Distt- Bageshwar for kind information and with request to display the minutes of public hearing to the office of the panchayat/Urban Local Bodies, whose jurisdiction the project is located for general information please.
4. Information Officer, ENVIS, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun with request to upload of minutes of public hearing to Board's web site on priority basis.


Member Secretary



मुख्यालय
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
46 बी, आई टी पार्क, सहस्रधारा रोड, देहरादून (उत्तराखण्ड), Web : www.ueppcb.uk.gov.in

पत्रांक - यू.के.पी.सी.बी./एच.ओ./एन.ओ.सी.-7293/2020

दिनांक- 23.11.2020

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिये सूचना

सोप स्टोन माइनिंग परियोजनाओं हेतु क्रमांक 1,2,3 एवं 4 पर अंकित परियोजनाओं की लोक सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2020 को दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में तथा क्रमांक 5 पर अंकित परियोजना की लोक सुनवाई दिनांक 23.10.2020 को दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण (उत्तराखण्ड संस्करण) एवं हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सूचना प्रकाशित कराई गयी थी। वर्तमान में अपर जिलाधिकारी, बागेश्वर के पत्रांक: 149/छब्बीस-17 लो.सु./2018-19 दिनांक 21.11.2020 के अनुसार अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत लोक सुनवाई की कार्यवाही सम्पादित किये जाने हेतु पुनः तिथि एवं समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

क्र.स.	इकाई का नाम	पूर्व में प्रस्तावित लोक सुनवाई की तिथि एवं समय	वर्तमान में लोक सुनवाई की तिथि एवं समय
1	मै. रमेश सिंह माजिला, नियर ओल्ड टेलिफोन एक्सचेंज जिला -बागेश्वर सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट, ग्राम-क्वेरली, तहसील व जिला-बागेश्वर (क्षेत्रफल-9.810 है० में 19,172 टन प्रतिवर्ष)	09.12.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	11.01.2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे
2	श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, ग्राम-सिमखेत, तहसील एवं जिला-बागेश्वर। सोप स्टोन माइनिंग प्रोजेक्ट तहसील एवं जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-4.486 है० में 16,183 टन प्रतिवर्ष)	03.12.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	05.01.2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे
3	मै० बालाजी मिनरल्स, बजरंग आंयल, बैजनाथ, जिला- बागेश्वर। सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-चकपहरुड़ा, तहसील-दुगनाकुरी, जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-4.168 है० में 11967 टन प्रतिवर्ष)	01.12.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	02.01.2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे
4	श्री कान्ती लाल साह, पिण्डारी रोड, जिला बागेश्वर। मै. नयाल सोप स्टोन माइनिंग, ग्राम-नयाल, तहसील व जिला-बागेश्वर। (क्षेत्रफल-8.490 है० में 21,661 टन प्रतिवर्ष)	07.12.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	07.01.2021 पूर्वाह्न 11:00 बजे
5	मै० जय माता दी माइन्स, ग्राम दयाली, कुरौली तहसील दुगनाकुरी, जिला बागेश्वर। (क्षेत्रफल-4.195 है० में)	26.11.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे	28.12.2020 पूर्वाह्न 11:00 बजे

लोक सुनवाई हेतु विस्तृत विज्ञापन का शेष विवरण यथावत रहेगा।

सदस्य सचिव

पढ़ें, कक्षा मिल रही है किताबी जोकटियां amarujala.com पर

कार्यालय अधि

पत्रांक: 2735/जल ज



परीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो.नि.वि., अल्मोडा

मै0 जय माता दी माईन्स ग्राम- दयाली कुरौली, तहसील-दुगनाकुरी जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड
के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 28.12.2020 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

मै0 जय माता दी माईन्स, ग्राम- दयाली कुरौली तहसील-दुगनाकुरी, जिला- बागेश्वर, उत्तराखण्ड सोप स्टोन माईनिंग प्रोडक्ट (4.195 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना-2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान तथा हिन्दुस्तान टाइम्स दि0 16.02.2020 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तदक्रम में 18.03.2020 को लोक सुनवाई प्रस्तावित की गई थी, प्रस्तावित जन सुनवाई कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत लाकडाउन के कारण स्थगित कर दी गयी थी। परियोजना की जन सुनवाई 26.11.2020 को प्रस्तावित की गई जो अपरिहार्य कारणों स्थगित की गई लोक सुनवाई अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2020 को प्रातः 11:00 पटवारी चौकी समीप बीसा जाजरी के निकट आयोजित किया गया। लोकसुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हल्द्वानी के सहायक वैज्ञानिक अधिकारी हरीश चन्द्र जोशी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी बागेश्वर श्री हेमन्त कुमार वर्मा तथा अन्य उपस्थित अधिकारीगणों का स्वागत किया। तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदय से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

अपर जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तदक्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार संस्था मैसर्स इनवायरो इन्फ्रा साल्यूशंस प्रावेट लिमिटेड के श्री दीपक पाण्डे द्वारा प्रस्तावित सोप स्टोन माईनिंग परियोजना में अवगत कराया गया तथा कहा गया कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा तथा प्रस्तावित खनन परियोजना में सम्भावित पर्यावरणीय पहलुओं का मूल्यांकन किया गया है। प्रतिकूल प्रभावों के सन्दर्भ




x

में आवश्यक नियंत्रण और उपायों का प्रस्ताव दिया गया है। परियोजना के कार्यान्वयन से पर्यावरण पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सोप स्टोन खनन परियोजना के संबंध में उपस्थित समुदाय से उनके सुझाव आपत्तिया एवं टीका टिप्पणी आमंत्रित की गई तथा अवगत कराया गया कि सुझाव आपत्तिया टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त की जा सकती है। उपस्थिति जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत टीका टिप्पणी व सुझाव का विवरण निम्नवत है।

1. श्री धन सिंह बाफिला ग्राम-थाडाईजर, तहसील- दुगनाकुरी, बागेश्वर- श्री बाफिला द्वारा जन सुनवाई में उपस्थिति सभी अधिकारियों तथा जन समुदाय का स्वागत करते हुये कहा कि श्री भौर्याल की प्रस्तावित सोप स्टोन माइनिंग से स्थानीय गांव वालो को लाभ होगा इस परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है।
2. श्री पूरन सिंह गड़िया (जिला पंचायत सदस्य) ग्राम- सुरकालीगॉंव, तहसील-दुगनाकुरी, बागेश्वर- श्री गड़िया द्वारा सभी उपस्थित जनो का स्वागत करते हुये कहा गया इस क्षेत्र में पूर्व से सोप स्टोन माइनिंग का कार्य किया जा रहा है, जिसमें गांव वालो को लाभ हुआ है तथा अवगत कराया गया कि कोविड-19 के दौरान खड़िया खनन व्यवसायों द्वारा विभिन्न गाँव वालो को मदद की गई है। खनन बन्द होने के दौरान ट्रकों का आवागमन न होने महँगाई बढ़ जाता है तथा स्थानीय लोगों के अन्य कार्य प्रभावित हो जाते हैं। परन्तु खनन कार्य से स्थानीय लोगो को रोजगार मिलता है तथा स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आता तथा खनन के माध्यम से गांव में विकास के कार्य किये गये है। इस खनन परियोजना से कोई आपत्ति नहीं है। इस खनन परियोजना को जल्दी अनुमति दी जानी चाहिये।
3. श्री धन सिंह भौर्याल, ग्राम- द्याली कुरौली, तहसील-दुगनाकुरी, बागेश्वर- श्री भौर्याल द्वारा उपस्थित जनो का स्वागत करते हुए कहा गया कि जन सुनवाई जनता के लिये अच्छा कार्य है। इसमें प्रस्तावित खनन कार्य से जो समस्याये होगी उसके लिये पर्यावरण प्रभाव आंकलन का प्राविधान किया गया है। जिसमें खनन के दौरान ध्वनि, वायु जल प्रदूषण के निवारण हेतु प्राविधान है। जिस हेतु क्षेत्र में वैज्ञानिक रूप से खनन कार्यो हेतु स्थानीय प्रशासन तथा राज्य बोर्ड को धन्यवाद किया गया।
4. श्री योगेश सिंह गड़िया ग्राम-सुरकाली, तहसील-दुगनाकुरी बागेश्वर- श्री गड़िया द्वारा सभी लोगों का स्वागत किया गया तथा कहा गया कि जन सुनवाई में अवगत कराया गया है कि खनन का कार्य वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। हम लोग सौभाग्यशाली है कि प्रकृति के द्वारा इस क्षेत्र में सोप स्टोन प्राप्त है तथा खनिज व्यवसाय से स्थानीय लोग जुड़े हुये है, जिससे क्षेत्र







की जनता की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है। खनन व्यवसायों द्वारा स्थानीय लोगों के सामूहिक कार्यों को सम्पन्न कराने में सहयोग रहता है। प्रस्तावित खनन परियोजना में गौचर पनघट आदि समस्याओं का समाधान व मरम्मत का कार्य परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जायेगा। हम प्रस्तावित खनन परियोजना का समर्थन करते हैं।

5. श्री महेश भौर्याल (प्रस्तावक), ग्राम— दयाली कुरौली, तहसील—दुगनाकुरी, बागेश्वर:— श्री भौर्याल द्वारा सभी लोगों का स्वागत करते हुये अवगत कराया कि वे इस खनन परियोजना के प्रस्तावक हैं। जो भी दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिये जायेंगे उनका पालन किया जायेगा। गाँव के विकास में सहयोग किया जायेगा चाहे वों पेय जल से सम्बन्धित हो या रोजगार से। स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा। स्वास्थ्य आदि पर गाँव वालों से समन्वय करते हुये समस्या का समाधान किया जायेगा। काश्तकारों के सहयोग से ही खनन कार्य किया जायेगा तथा सभी का धन्यवाद व्यक्त किया गया।
6. श्री तिलक गिरी गोस्वामी ग्राम—सुरकाली, तहसील—दुगनाकुरी, बागेश्वर:— श्री गोस्वामी द्वारा कहा गया कि खनन परियोजना प्रस्ताव से पहले खनन कार्य के व्यवसायी बाहर के लोग थे। हाल के वर्षों में स्थानीय व्यवसायी इस खनन व्यवसाय में आगे आये हैं, जिसका सभी क्षेत्रवासियों को लाभ प्राप्त हो रहा है। चाहें वो घोड़ा चालक हो, स्थानीय व्यवसायी हो या अन्य कार्यों में लगा हो। प्रस्तावित खनन परियोजना क्षेत्र गाँव से दूर है तथा ग्राम वासियों को रोजगार में वरीयता दी जानी चाहिये तथा ग्राम वासियों से समन्वय बना कर ही कार्य किया जाना चाहिये।

तदपश्चात अपरजिलाधिकारी बागेश्वर द्वारा पुनः लोगों से सुझाव व मौखिक/लिखित में देने को कहा गया तथा अन्य टीका टिप्पणी सुझाव प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।


(हरीश चन्द्र जोशी)
सहायक जिलाधिकारी
उपनिर्देशक बोर्ड हल्द्वानी।


(हेमन्त कुमार वर्मा)
अपर जिलाधिकारी
बागेश्वर।




उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 द्वारा
 माननीय अपर जिला अधिकारी और जनता के प्रतिनिधियों का
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई में हार्दिक स्वागत है।
खनन परियोजना क्षेत्र- ग्राम दिवाली कुरौली
 (क्षेत्र : 4.195 हेक्टेयर)
लोकसुनवाई स्थल - दिवाली कुरौली परियोजना स्थल
तह.-दुग नाकुटी जनघद-बागेश्वर

तिथि - 28 दिसम्बर 2020 प्रातः 11 बजे
आयोजक - उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी
परियोजना प्रस्तावक -
महेश सिंह भौर्याल (जय माता दी माइन्स)



खनन परियोजना : मै0 जय माता दी माइन्स
ग्राम - दिवाली कुरौली, बागेश्वर (सोप स्टोन माइनिंग 4.195)
सुनवाई स्थल - पटवारी चौकी समीप बीसा जाजरी
समय एवं तिथि- प्रातः 11:00 बजे दिनांक 28 दिसम्बर 2020
पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आयोजित लोक सुनवाई में आपका हार्दिक स्वागत है।
आयोजक
क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आवास विकास कॉलोनी-हल्द्वानी (नैनीताल)
परियोजना प्रस्ताव - श्री महेश सिंह भौर्याल





